क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उत्तरदाता प्र.। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आवेदन पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम जारी समनों पर न्यायालय हाजा द्वारा सम्यक तामील नहीं करवाई गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण के नाम समन जारी किये बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः प्रार्थीगण का आवेदन	Adv.

खारिज फरमाया जावे।

उत्तरदाता के अधिवक्ताओं की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। न्यायालय हाजा की अपील पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण संख्या

राजस्व अपील ...
बाड़मेर

01 के नाम न्यायालय हाजा द्वारा सम्मन जारी किया जो लेने से इंकार की रिपोर्ट सहित प्राप्त एवं प्रार्थीगण संख्या 02 के नाम सम्मन भिजवाया जो मासामी स्वयं घर पर नहीं होने के बावजूद मकान पर चस्पा किया गया। उसके उपरांत न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी संख्या 02 के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये बावजूद सूचना प्रार्थी रामुराम अनुपस्थित आया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण के नाम जारी सम्मनों पर पर्याप्त तामील करवाई गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने योग्य ठहरता है।

अत: प्रार्थीगण का ~~प्रार्थी~~ प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर